**आदेश 10, नियम 2, सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र**

न्यायालय. ...................

प्रकीर्ण आवेदन पत्र सं....................सन्...................

(आदेश आवेदन पत्र सं.............................सन...................

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

(आदेश 10, नियम 2, सि0 प्र0 सं0 के अधीन प्रतिवादी का आवेदन पत्र)

श्री,

यह निम्नलिखित रूप में अतिसम्मान पूर्वक निवेदन किया जाता है।

1. यह कि प्रतिवादी ने वादी से उसके द्वारा प्रश्नगत चैकों की प्राप्ति अपने लिखित कथन में स्वीकृति किया है बल्कि उसको लिखित कथन का उत्तर देना पड़ता है क्या उसने उपभोक्ता बैंक से इन सभी चैकों को भुनाया।
2. यह कि यह समीचीन है कि प्रतिवादी के कथन इस संदर्भ में ग्रहण किया जा सकेगा ताकि बैंक कर्मचारियों के माध्यम से चैक को भुनाया जाने को साबित करने हेतु न्यायालय के समय की अनावश्यक बर्बादी तथा वादी की परेशानी से बचा जा सकेगा।

**प्रार्थना**

अतएव यह अति सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि 'आदेश 10, नियम 2 सि. प्र. सं. के अधीन वादी के कथन को अभिलिखित किया जा सकेगा और तब वादी तथा उसके साक्षियों का कथन अभिलिखित किया जा सकेगा।

यह तदानुसार प्रार्थना की जाती है।

**आवेदक**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान...**

**तारीख....**